

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारोीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2017/ 2556

दिनांक - 30.11.17

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

अनेकंवर पत्नी
आईदानसिंह 2 धूडकंवर
पत्नी द्वारकसिंह
3 नेनकंवर पत्नी इन्द्रसिंह
4 पूरसिंह पुत्र मूलसिंह
5 सवाईसिंह पुत्र
खीमसिंह जाति राजपूत
निवासी ऊदे का तला
(महावार) 6 बंशीसिंह पुत्र
मोहनसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी
बाड़मेर गादान तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 गोरधनसिंह 2 अनोपसिंह पिसरान भंवरसिंह
3 गोतीसिंह 4 सरूपसिंह पिसरान धर्मसिंह 5 खीमसिंह
6 पदमसिंह 7 तेजमालसिंह 8 नखतसिंह पिसरान
सुखसिंह 9 भवसिंह 10 आईदानसिंह पिसरान
प्रतापसिंह 11 गोविन्दसिंह पुत्र सुजानसिंह 12 दलसिंह
पुत्र अगरसिंह 13 धापूकंवर पत्नी बुधरसिंह
14 हुकमसिंह 15 भेरसिंह पिसरान शिवनाथसिंह
16 दीपसिंह 17 लीलसिंह 18 बागसिंह 19 राणसिंह
पिसरान मुकनसिंह 20 फतेहसिंह 21 कूम्पसिंह
22 दुर्गसिंह पिसरान चिमनसिंह 23 भूरसिंह पुत्र
केसरसिंह 24 फोजसिंह पुत्र गेमरसिंह 25 कमलसिंह
26 सुस्तानसिंह 27 गोविन्दसिंह पिसरान लखसिंह
28 छुगसिंह 29 खुमाणसिंह पिसरान सबलसिंह
30 भंवरसिंह पुत्र जवानसिंह 31 शैतानसिंह पुत्र
हुकमसिंह 32 चंदनसिंह पुत्र रूपसिंह 33 पन्नेसिंह पुत्र
मूलसिंह 34 जोगराजसिंह 35 चेलसिंह पिसरान
लखसिंह जाति राजपूत निवासी ऊदे का तला
(महावार) 36 गोसाईराम पुत्र सुरताराम 37 सोनीदेवी
पत्नी सुरताराम 38 भोमाराम 39 खीयाराम
40 तिलाराम पिसरान गोटाराम 41 उगराराम पुत्र
नवलाराम 42 पेमाराम 43 हमीराराम 44 गिरधारीराम
45 अणदाराम पिसरान गणेश 46 रमेश 47 खेमाराम
पिसरान कुम्भाराम जाति जाट निवासी ऊदे का तला
(महावार) 48 फगलूराम पुत्र हदाराम 49 गेनाराम पुत्र
अगराराम जाति मेघवाल निवासी ऊदे का तला
(महावार) तहसील व जिला बाड़मेर।



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 899/2017


दिनांक- 29.11.17

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ऊदे का तला पटवार क्षेत्र महावार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2099/1039 रकबा 12.00 बीघा, खसरा संख्या 2100/1039 रकबा 17.15 बीघा, खसरा संख्या 2103/1039 रकबा 41.15 बीघा, खसरा संख्या 2098/1039 रकबा 12.00 बीघा, खसरा संख्या 2102/1039 रकबा 47.15 बीघा एवं खसरा संख्या 2101/1039 रकबा 12.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

रने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर
क्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


दिनांक- 30.11.17

क्रमांक :- रीडर/2017/ 2597-2600

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

बाड़मेर तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।

2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अनेकंवर पत्नी आईदानसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गोरधनसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर